वित्त मंत्रालय

मांग संख्या 33

लोक उद्यम विभाग

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2022-2023			बजट 2023-2024			संशोधित 2023-2024			बजट 2024-2025		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	31.19	150.00	181.19	32.15	0.90	33.05	29.97	2.60	32.57	25.91	0.69	26.60
वसूलियां	*-0.20*	...	-0.20	...	...	...	...	...	...	...	...	...
प्राप्तियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	**30.99**	**150.00**	**180.99**	**32.15**	**0.90**	**33.05**	**29.97**	**2.60**	**32.57**	**25.91**	**0.69**	**26.60**
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	23.17	150.00	173.17	22.24	0.90	23.14	21.76	2.60	24.36	17.53	0.69	18.22
केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं												
केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के यौक्तिकीकृत कर्मचारियों के लिए परामर्श, पुनर्प्रशिक्षण और पुनर्नियोजन												
2. परामर्श, पुनर्प्रशिक्षण और पुनर्नियोजन (सीआरआर) योजना	1.75	...	1.75	3.40	...	3.40	1.70	...	1.70	2.00	...	2.00
3. केन्द्रीय सरकारी उद्यमों और राज्य स्तरीय लोक उद्यमों से संबंधित जेनेरिक मुद्दों पर अनुसंधान, विकास एवं परामर्श	6.07	...	6.07	6.51	...	6.51	6.51	...	6.51	6.38	...	6.38
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं	**7.82**	**...**	**7.82**	**9.91**	**...**	**9.91**	**8.21**	**...**	**8.21**	**8.38**	**...**	**8.38**
कुल जोड़	***30.99***	***150.00***	***180.99***	***32.15***	***0.90***	***33.05***	***29.97***	***2.60***	***32.57***	***25.91***	***0.69***	***26.60***
ख. विकास शीर्ष												
आर्थिक सेवाएं												
1. उद्योग	7.82	...	7.82	8.92	...	8.92	7.39	...	7.39	7.54	...	7.54
2. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	23.17	...	23.17	22.24	...	22.24	21.76	...	21.76	17.53	...	17.53
3. अन्य उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	...	150.00	150.00	...	...	...	...	...	...	...	...	...
4. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	...	...	...	0.90	0.90	...	2.60	2.60	...	0.69	0.69
जोड़-आर्थिक सेवाएं	**30.99**	**150.00**	**180.99**	**31.16**	**0.90**	**32.06**	**29.15**	**2.60**	**31.75**	**25.07**	**0.69**	**25.76**
अन्य												
5. पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	...	...	0.99	...	0.99	0.82	...	0.82	0.84	...	0.84
जोड़-अन्य	**...**	**...**	**...**	**0.99**	**...**	**0.99**	**0.82**	**...**	**0.82**	**0.84**	**...**	**0.84**

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2022-2023			बजट 2023-2024			संशोधित 2023-2024			बजट 2024-2025		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल जोड़	**30.99**	**150.00**	**180.99**	**32.15**	**0.90**	**33.05**	**29.97**	**2.60**	**32.57**	**25.91**	**0.69**	**26.60**

1. **सचिवालय-आर्थिक सेवाएं:** (i) विभाग के सचिवालय, महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न पीएसई के गैर आधिकारिक अंशकालिक निदेशकों के चयन हेतु खोज समिति के लिए व्यय हेतु निधियों का प्रावधान करता है। यह सूचना प्रौद्योगिकी, जिसमें प्रशिक्षण, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर के अधिग्रहण और साथ ही साथ विकास, सॉफ्टवेयर के अनुरक्षण और कार्यालय परिसरों के आधुनिकीकरण शामिल है, के लिए निधियों का प्रावधान करता है। (ii) विशेष प्रयोजन माध्यम (एसपीवी), एक कंपनी, जिसे गैर कोर आस्तियों, जिसमें मुख्यतया सरकार के मंत्रालयों / विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों की अधिशेष भूमि शामिल है, को मुद्रीकृत करने के लिए स्थापित किया गया है, में इक्विटी निवेश के लिए प्रावधान करता है।

2. **परामर्श, पुनर्प्रशिक्षण और पुनर्नियोजन (सीआरआर) योजना:** केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमों के पृथक्कृत कर्मचारियों/वीआरएस विकल्पधारियों के परामर्श, पुनर्प्रशिक्षण तथा पुनर्नियोजन के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निधि (एनएसडीएफ)/राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) के माध्यम से प्रशिक्षण देने वालों को सहायता अनुदान के रूप में निधि प्रदान किया जाता है। इस योजना की निगरानी तथा मूल्यांकन के लिए भी निधि का उपयोग किया जाता है। परामर्शदाताओं के भुगतान सी. आर. आर. स्कीम से जुड़े हुए हैं।

3. **केन्द्रीय सरकारी उद्यमों और राज्य स्तरीय लोक उद्यमों से संबंधित जेनेरिक मुद्दों पर अनुसंधान, विकास एवं परामर्श:** निधि का उपयोग (i) सम्मेलनों / सेमिनारों / कार्यशालाओं के आयोजन तथा समझौता ज्ञापन एवं उस पर वार्ता तथा मूल्यांकन प्रक्रिया सहित केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के जेनेरिक मुद्दों पर विषय वस्तुगत अध्ययन/परामर्श करने के लिए किया जाता है,(ii) कार्यपालकों एवं कर्मचारियों तथा लोक उद्यम विभाग (डीपीई) के कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने को कार्यपालकों तथा कर्मचारियों के कौशल विकास हेतु प्रशिक्षण के अंतर्गत शामिल किया गया है, (iii) गैर सरकारी निदेशकों पर विशेष जोर के साथ सीपीएसई के बोर्डों में शामिल निदेशकों को प्रशिक्षण देना दिशा-निर्देशों में शामिल किया गया है, (iv) समझौता ज्ञापन से संबंधित कार्यकलापों की प्रशासनिक एवं संभार तंत्र से जुड़े विभिन्न व्यय को दिशा-निर्देशों में शामिल किया गया है, (v) अंतर्राष्ट्रीय सरकारी उद्यम संवर्धन केन्द्र (आईसीपीई) को अंशदान का भुगतान करना,(vi) आरडीसी स्कीम से जुड़े परामर्शदाताओं/प्रोग्रामरों आदि को भुगतान आरडीसी स्कीम से किया जाना प्रस्तावित किया गया है और (vii) सीपीएसई/एसएलपीई के वार्षिक सर्वेक्षण के प्रकाशन के लिए है।